

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17. टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या —
अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय
और निर्दिष्ट सिफारिशें।

*Recommend for
approval*

(राय देते समय, संबंधित वन संरक्षक अथावा उप
वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों को सुस्पष्ट
रागीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी
जाय।)

16/11/12
आ० प्रशान्त कमार धर्मा
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी
वन (रांची) अधिनियम-1980,
उ०प०, लखनऊ

हस्ताक्षर
नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

तिथि *16/11/12*
स्थान *Lucknow*